रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 1979/पौष 13, 1900
No 6] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 1979/PAUSA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० 4 ईटीसी (पीएम)/79

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1979

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

विषय : 1-1-1979 से 31-12-79 तक खुला सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन तैयार पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों सहित (तागा, ग्रे गुडस, टेरी टावल व टावलिंग को छोड़कर) मिल से बने हुए/बिजली करघे/हथकरघे से तैयारी सूती वस्त्र और विविध वस्त्र उत्पाद को आस्ट्रिया को निर्यात करने की योजना।

वि० सं० 2/1/79-ई०-1. —उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० ई (सी) प्रो. 1977/ एएम (87) दिनांक 3 जनवरी, 1979 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. यह योजना कोटा वर्ष 1 जनवरी, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979 तक तैयार पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों सहित (तागा, ग्रे गुडस, टेरी टावल और टावलिंग को छोड़कर) मिल से बने/बिजली करघे/हथकरघे से बने हुए तैयार वस्त्रों और कपास के विविध उत्पादों के आस्ट्रिया को निर्यात करने से संबंधित है।

3. कोटा आबंटन के उद्देश्य के लिए पोतलदास अवधि छः-छः महीनों की दो अवधियों अर्थात 1 जनवरी, 1979 से 30 जून 1979 और 1 जुलाई, 1979 से 31 दिसम्बर 1979, में विभाजित की जाएगी। वार्षिक कोटे का 60% प्रथम 6 महीनों के दौरान आबंटित किया जाएगा और शेष 40% अगले 6 महीनों के दौरान।

4. कोटा वर्ष की प्रथम छमाही की माग पर निर्भर करते हुए इस विभाजन पर सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है। सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् बम्बई वस्त्रों और बनी हुई वस्तुओं के लिए और परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए कोटा आबंटित करेगी।

5. वस्त्रों और बनी हुई वस्तुओं के कोटे का 50% का निर्धारण तैयार माल के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जाएगा और शेष 50% का निर्धारण पक्की संविदाओं के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जाएगा। आवश्यकताओं, पर निर्भर करते हुए तैयार माल आबंटन और पक्की संविदा आबंटन के संबंधित अनुपात का समंजन जब कभी सरकार आवश्यक समझे कर सकती है।

6. पोशाकों और सलाई से बने हुए वस्त्रों के लिये कोटे के 40% का निर्धारण तैयार माल के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर और शेष 60 प्रतिशत पक्की संविदाओं के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जाएगा। इन दोनों पद्धतियों में से प्रत्येक के अन्तर्गत कोटे के 20 प्रतिशत का निर्धारण उच्चतर मूल्य की मदों के लिए किया जाएगा। यदि उच्चतर कीमत निर्धारण का भाग पहले समाप्त हो जाता है तो। उच्चतर कीमत वाला माल स्वाभाविक रूप से अन्य माल के साथ अन्य भाग में पात्रता प्राप्त करेगा। इस प्रयोजन के लिए न्यूनतम मूल्य के दो आधार होंगे—एक का संबंध 20 प्रतिशत आबंटन द्वारा उच्च मूल्य मदों के साथ और दूसरा 80 प्रतिशत आबंटन के द्वारा आने वाले मदों के लिए न्यूनतम मूल्य का आधार होगा। सूती पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए कोटा आबंटन साक्षपत्र शर्तों पर किया जाएगा। तैयार माल के आबंटन के लिए पहले पाए सो पहले आए के आधार पर साक्षपत्र

कोटा पृष्ठांकन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए और पक्के प्रादेश आबंटन के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर सत्यपत्र कोटा आबंटन के 60 दिनों के भीतर अथवा पोतलदान के लिए कोटा पृष्ठांकन से पहले जो भी इनमें पहले आता हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर कोटा आबंटन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

7. पहले आए सो पहले पाए तैयार माल पर कोटा आबंटन के मद्दे पोतलदान कोटा पृष्ठांकन की तिथि से 10 दिनों के भीतर करना होगा। लेकिन कई मामलों में उचित कारणों के लिए वस्त्र आयुक्त अथवा उसके प्रतिनिधि के विशिष्ट अनुमोदन पर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

8. पहले आए सो पहले पाए पक्की संविदा निर्धारण के मामले में यदि प्रस्ताव अंतिम तिथि तक उपलब्ध कोटा से अधिक है तो इस उद्देश्य के लिए इन प्रस्तावों में से एक को पसन्द किया जाना चाहिए, चुनाव एकक मूल्य के आधार पर किया जाएगा। ऐसे अवसर पर उच्चतर एकक मूल्य मापदंड होगा। उन मामलों में, अन्तिम तिथि को बच्चों की पौशाकों के लिए विशेष आबंटन पर विचार किया जाएगा और सुविधा प्रदान की जाएगी।

9. निर्यात संवर्धन परिषद या उसकी प्राधिकृत अंतवर्ती प्रतिनिधियों द्वारा पृष्ठांकन के समय जारी किए गए निर्यात प्रमाणपत्र के आधार पर आयातक को जारी किए गए आयात लाइसेंस के मद्दे आस्ट्रिया में आयात की अनुमति दी जाएगी। निर्यात प्रमाणपत्र क्रेता के लिए है और इस लिए पोतवणिक सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् से उसे प्राप्त करने पर अन्य सम्बद्ध दस्तावेजों सहित अपने क्रेता को भेजना चाहिए।

10. जब कभी प्रेषित माल पोतलदान के लिए तैयार हो तो निर्यातक आवश्यक पोतलदान दस्तावेज (जिसमें पोतलदान बिलों की दो प्रतियां शामिल है) यदि कोई हो तो, कोटा प्रमाणपत्र सहित, निर्यात संवर्धन परिषद अथवा इसके अन्तर्वर्ती पत्तन प्रतिनिधियों को कोटा पृष्ठांकन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करेगा। पोतवणिक पोत परिवहन दस्तावेजों सहित, पोतलदानो के अन्तर्गत माल के ब्यौरों को पूरा करते हुए एक आवेदन प्रपत्र, कोटा लाइसेंस पृष्ठांकन जारी करते समय आवश्यक निर्यात प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए भेजेंगे। इसके पश्चात् दस्तावेज पोत, परिवहन दस्तावेज, पोत परिवहन बिलों सहित, और अन्य कार्रवाई पूरी करने के लिए सीमा-शुल्क को भेजे जाएंगे। तैयार पौशाकों के मामले में पोतलदान दस्तावेज जिसमें पोत परिवहन बिल भी शामिल है परिधान निर्यात संवर्धन परिषद अथवा इसके अन्तर्वर्ती पत्तन प्रतिनिधियों को पोतलदान पत्तन पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा पोतलदान बिल अंकित करने से पहले कोटा पृष्ठांकन के लिए भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इन सभी मामलों में पोतवणिकों को इस सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद अथवा इसके अन्तर्वर्ती पत्तन प्रतिनिधियों को सीमा शुल्क विभाग से पोत परिवहन बिलों की संख्या और दिनांक एकत्र करने के बाद सूचित करना होगा।

11. जहां तक कुटीर उद्योग के हथकरघा वस्त्र, ऐसे ही हथकरघा वस्त्रों से निर्मित हस्तनिर्मित कुटीर उद्योग उत्पादों ऐसे, ही हथकरघा वस्त्रों से निर्मित बनी हुई पौशाकों और परम्परागत लौकिक हस्तशिल्प वस्त्र उत्पादों का संबंध है आस्ट्रिया को निर्यात के लिए इनका पोतलदान, वस्त्र आयुक्त या अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड जैसा भी मामला हो, के द्वारा जारी किए गए उपयुक्त प्रमाणपत्र के आधार पर सीमाशुल्क द्वारा अनुमित किया जाएगा। इन मदों के लिए, सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोत परिवहन बिलों के पृष्ठांकन के लिए किसी भी सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषद के कोटा पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

12. कोटा आबंटन से सम्बन्धित मामलों में वस्त्र आयुक्त, बम्बई अथवा उसके द्वारा मनोनीत एक अधिकारी को दिन-प्रतिदिन देखरेख करनी होगी। वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष के रूप में और सम्बन्धित विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ एक समन्वय समिति समय-समय पर स्थिति की पुनरीक्षा करेगी।

13. पक्के वायदों पर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर कोटा आबंटन के लिए आवेदक का आवेदक पत्र के साथ पौशाकों और बुने-बुनाए वस्त्रों के लिए कोटा आवंटन का जहाज पर निशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत भाग के लिए निष्पादन बाण्ड प्रस्तुत करना होगा। पहले आए सो पहले पाए के आधार पर तैयार माल के कोटा आबंटन के मामले में एक रुपया प्रति नग की दर से अथवा जहाज पर निशुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत अग्रिम धन जो भी इनमें अधिक हो कोटा पृष्ठांकन के समय आवेदक को जमा करना पड़ेगा। कोटा आबंटन/कोटा पृष्ठांकन की वैध की अवधि के दौरान यदि उपयोग 90 प्रतिशत से कम नहीं है तो निर्यात का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जमा किए हुए अग्रिम धन/निष्पादन बाण्ड का पूर्ण धन वापस कर दिया जाएगा। यदि कोटा आबंटन का उपयोग 90 प्रतिशत से कम है तो निष्पादन बाण्ड के पूर्ण धन पर जुर्माना दिया जाएगा और जमा किया हुआ पूर्ण अग्रिम धन जब्त किया गया समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्पण कोटा आबंटन के 25 प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसे ग्राही के लिए आगे कोटा आबंटन की अस्वीकृति पर विचार किया जा सकता है। लेकिन प्रधान शक्ति की शर्तों में उचित छूट पर विचार किया जा सकता है।

14. निर्यात भारत में किसी भी पत्तन से अनुमित किया जाएगा।

35. निर्यात संवर्धन परिषदों के पते इस प्रकार हैं :—

(1) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद
"इंजीनियरिंग सेन्टर"
9, मैथ्यु रोड पांचवी मंजिल,
बम्बई-400004

(2) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद,
सहयोग बिल्डिंग, चौथी मंजिल,
58 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

16. वे व्यक्ति जिन्हें उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अनुसार कोटा दिया गया है, परन्तु जिन्होंने कोटे का पूरा उपयोग नहीं किया है उन्हें आगामी कोटा प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा इसके साथ-साथ इस बारे में उन पर अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

17. निर्यात नीति 1978-79 के अध्याय-2, पृष्ठ-29 पर क्रम संख्या 70(7) के सामने विद्यमान प्रविष्टि इस प्रकार प्रतिस्थापित की जाएगी :—

1	2	3
"70(7)	मिल निर्मित/बिजली करघा सूती हथकरघा परिष्कृत वस्त्र और विविध वस्त्र उत्पादों (यार्न ग्रेगुड्स, टैरी टावल और टावलिंग को छोड़ कर) जिसमें तैयार पौशाकों और सलाई से बने हुए पहनावों का आस्ट्रिया को निर्यात।	निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस 3 के अन्तर्गत निम्नलिखित के अधीन अनुमित किया जाएगा :— 1. कोटा आबंटन के मद्दे निम्नलिखित के द्वारा :— (क) वस्त्रों और बनी हुई वस्तुओं के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्

1	2	3
		(ख) पोशाकों और सिलाई में बनी हुई पोशाकों के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् पोत परिवहन बिलों पर पृष्ठांकन के द्वारा ।
		2. हथकरघा वस्त्रों का निर्यात, वस्त्र आयुक्त या अखिल भारतीय हस्त-शिल्प बोर्ड जैसा भी मामला हो, से हथकरघा मूलता को दर्शाते हुए प्रमाण-पत्र के आधार पर किसी भी कोटा प्रतिबन्धन के बिना ही अनुमित किया जाएगा ।

का० वें० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO 4- ETC (PN)/79

New Delhi, the 3rd January, 1979

Sub : Scheme for exports under OGL. 3 of mill-made/powerloom/handloom finished fabrics and misc. textile products of cotton (other than yarn, grey goods, terry towels and towelling) including ready-made garments and knitwear to Austria from 1-1-1979 to 31-12-1979.

F. No. 2/1/79.E.I.—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM (87), dated 3rd, January, 1979, on the above subject.

2. The scheme relates to the exports of finished fabrics and miscellaneous products of cotton (other than yarn, grey goods, terry towels and towelling) of mill-made/powerloom/handloom fabrics including Ready-made garments and knitwear to Austria for the quota year 1st January, 1979 to 31st December, 1979.

3. For the purposes of quota allotment, the shipment period will be divided into two six-monthly periods i.e., from 1st January 1979 to 30th June, 1979 and from 1st July, 1979 to 31st December, 1979. 60% of the annual quota will be allocated during the first wix months and the rest 40% during the next six months.

4. Depending upon the demand in the first half of the quota year, readjustments of this division may be considered by the Government. The Cotton Textiles Exports Promotion Council, Bombay will allocate quotas for fabrics and made-ups and the Apparels Export Promotion Council, New Delhi will allocate quota for garments and knitwear.

5. For fabrics and made-up articles, 50% of the quota will be allocated on first-come first-served basis for ready goods and the rest 50% on first-come first-served basis for firm contracts. Depending upon the need, adjustment of the related proportion of ready goods allocation and firm contracts allocation may be made by the Government whenever it is found necessary.

6. For garments and knitwear, 40% of the quota will be allocated on first-come first-served basis for ready goods and the rest 60% on first-come first-served basis for firm contracts. Under each of these two systems, 20% of the quota will be allocated for higher value items. In case the portion for higher price allocation gets exhausted first, the goods with higher price will naturally have the eligibility in the other portion alongwith the other goods. For this purpose, there will be two sets of floor prices—one relating to higher value items covered by 20% allocation and the other base floor price for items covered by the remaining 80% of the allocation. Quota allocation for garments and knitwear will be made on LC terms. For first-come, first-served ready goods allocation, LC should be produced at the time of quota endorsement and for first-come first-served firm contract alloctaion, LC should be produced within 60 days of quota allocation or before quota endorsement for shipment, whichever is earlier, failing which quota allocation will be automatically deemed to lapse.

7. Shipments against quota allocations on first-come, first-served ready goods basis will have to be effected within 10 days from the data of quota endorsement. However, this period can be extended in exceptional cases for valid reasons on specific authorisation from the Textile Commissioner or his representative.

8. In the case of first-come, first-served firm contract allocation, if the offers are more than the quota available on the terminal date, a choice among offers may have to be made and, for this purpose, selection will be made on the basis of unit price. The higher unit price will be the criterion in such an eventuality. In that case, on the terminal date special allocation for children's garments will be considered and provided.

9. The imports into Austria will be permitted against the import licence issued to the importer on the basis of the export certificate issued at the time of endorsement by the Export Promotion Council concerned or its upcountry representatives on fulfilment of the terms and conditions stipulated for the purpose from time to time. The export certificate is meant for the buyer and hence the same, after obtaining from the Export Promotion Council concerned, has to be forwarded by the shipper to his buyer alongwith other related documents.

10 Whenever the consignment is ready for shipment, the exporter shall submit the necessary shipping documents including shipping bills in duplicate to the Export Promotion Council concerned or its upcountry port representatives alongwith quota certificate, if any, for obtaining quota endorsement. Alongwith shipping documents, shippers shall submit a proforma application in duplicate covering the details of goods under shipment for issuing the necessary export certificate at the time of issuing quota licensing endorsement. Thereafter, the documents shall be submitted to the Customs for completion of the shipping documents including shipping bills and other formalities. In the case of readymade garments, the shipping documents including shipping bills will also be submitted to the Apparels Export Promotion Council, New Delhi or its upcountry port representatives for quota endorsement before the shipping bills are noted by the Customs at the port of shipment. In all these cases, the shippers will be required to inform the Export Promotion Council concerned or its upcountry port representatives from whom the quota endorsement is obtained, the number and date of shipping bills after the same are obtained from Customs.

11. In so far as handloom fabrics of the cottage industry, handmade cottage industry products made of such handloom fabrics woven garments made from such handloom fabrics and traditional folkl orehandicraft textile products are concerned, shipments will be permitted by the Customs for exports to Austria on the basis of appropriate certificates issued by the Textiles Committee or the All India Handicrafts Board, as the case may be. For these items, no quota endorsement by the Export Promotion Councils concerned will be required for endorsement of the shipping bills by the Customs Authorities.

12. The Textile Commissioner, Bombay, or an officer designated by him will have a day-to-day supervision over the matters relating to quota allocation. A Co-ordination Committee with the Textile Commissioner as the Chairman and representatives of the Export Promotion Councils concerned will review the situation from time to time.

13. For garments and knitwear, performance bond for a value of 10% of the f.o.b. value of quota allotment will have to be submitted by the applicant alongwith the application for quota allotment on first-come, first-served firm contract basis. In the case of quota allocation on first-come, first-served ready goods basis, earnest money at the rate of Re. 1 per piece or 10% of the f.o.b. value, whichever is higher, will have to be deposited by the applicant at the time of quota endorsement. If the utilisation within the validity period of quota allotment/quota endorsement is not less than 90% full amount of earnest money deposit/performance bond will be refundable on production of evidence of export. If the utilisation of quota allocation is less than 90% penalty for the full amount of the performance bond will be imposed, and the full earnest money deposit will be liable to be forfeited. Further, if the surrender of quota is in excess of 25% of allotment, refusal of further quota allotment for such allottees may be considered. However, in conditions of force majeure, appropriate exemptions may be considered.

14. Exports will be allowed from any port in India.

15. The addresses of the Export Promotion Councils are as follows :-

(i) The Cotton Textiles Export Promotion Council, Engineering Centre' 9, Mathew Road, 5th Floor, Bombay—400 004.

(ii) Apparels Export Promotion Council, Sahayog Building 4th Floor, 58, Nehru Place, New Delhi—110019.

16. Persons to whom quotas are allotted in accordance with the above arrangements but who do not utilise them fully would be liable to dis-qualification from getting future quotas without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

17. The existing entry against S. No. 70(vii) on page 29, Section II of Export Policy 1978–79 shall be substituted as under :

1	2	3
"70(vii)	Export of Mill made/ powerloom/handloom/ finished fabrics and misc. textile products of cotton (other than yarn, grey goods, terry towels and towelling) including readymade garments and knitwear to Austria.	Export will be allowed under OGL. 3 subject to the following : 1. Against quota allotment by — (a) The Cotton Textiles Export Promotion Council for fabrics and made-ups. (b) The Apparels Export Promotion Council for garments and knitwears. by endorsement on shipping bills. 2. Export of Handloom fabrics will be allowed without any quota restriction on the basis of certificate showing handloom origin from the Textiles Committee or All India Handicrafts board as the case may be.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979